



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



NAAC ACCREDITED "A"

क्रमांक: ६२७३ /अका. /का.प./ २०१८

रायपुर, दिनांक : २६/०४/२०१८

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की उनचालीसवें\* बैठक शुक्रवार, दिनांक 20.04.2018 को अपराह्न 03:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

**प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष**

1. डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती	– सदस्य	9. डॉ. नरेन्द्र पटनायक	– सदस्य
2. डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा	– सदस्य	10. श्री चंद्र कुमार चंद्राकर	– सदस्य
3. डॉ. बशीर हसन	– सदस्य	11. डॉ. डी.एन. वर्मा	– सदस्य
4. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	– सदस्य	12. श्री एस.के. चक्रवर्ती	– सदस्य
5. डॉ. एच.के. पाठक	– सदस्य	13. श्री नरेशचन्द्र गुप्ता	– सदस्य
6. डॉ. श्रीकांत कमलाकांत पाण्डेय	– सदस्य	14. डॉ. लक्ष्मीकांत भारती	– सदस्य
7. डॉ. सोम कुमार चटर्जी	– सदस्य	15. श्री श्रीचंद्र सुंदरानी	– सदस्य
8. डॉ. चन्द्रशेखर चौबे	– सदस्य		

**डॉ. संदीप वनसूत्रे कुलसचिव – सचिव**

## कार्यवृत्त :

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 28.03.2018 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.03.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 28.03.2018 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.03.2018 की बैठक के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

## प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्तावः—

3. डॉ. बी. के. मेहता प्रकरण पर विश्वविद्यालय के अधिवक्ता से प्राप्त अभिमत अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि निलंबन अवधि के पश्चात् सेवा में बहाल किये जाने के कारण वि.वि. के परिनियम 31(61) के अनुसार निलंबन अवधि में देय निलंबन भत्तों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का, अन्य स्वत्व देय नहीं होगा। परन्तु पेंशन की गणना हेतु निलंबन अवधि को सेवाकाल की गणना में लिया जावेगा।

4. डॉ. शैलेन्द्र सराफ, प्रोफेसर, फार्मसी संस्थान का धारणाधिकार स्वीकृत किए जाने के संबंध में विचार करना।

**निर्णय :** वि.वि. फार्मसी संस्थान के प्राध्यापक डॉ. शैलेन्द्र सराफ को दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग में कुलपति नियुक्त होने के फलस्वरूप उनके द्वारा प्राप्त आवेदन को मान्य करते हुए कार्यमुक्त होने की तिथि दिनांक 02.04.2018 से पाँच वर्ष के लिए धारणाधिकार की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।

#### अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

5. श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय रायपुर में प्रभारी प्राचार्य के प्रकरण पर विचार करना।

**निर्णय :** श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय रायपुर में नियमित प्राचार्य की नियुक्ति हेतु माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में वि.वि. द्वारा कार्यवाही किये जाने की सूचना ग्रहण की गई।

6. डॉ. मेघा अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल महिला महाविद्यालय, रायपुर की सेवा समाप्ति के प्रकरण में ट्रिब्यूनल द्वारा जांच प्रतिवेदन/बंद लिफाफा पर विचार करना।

**निर्णय :** डॉ. मेघा अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल महिला महाविद्यालय, रायपुर की सेवा समाप्ति के प्रकरण में ट्रिब्यूनल द्वारा जांच प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

#### विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव:-

7. श्री जानकी प्रसाद शर्मा बर्खास्त कर्मचारी के प्रकरण पर अंकेक्षण प्रतिवेदन अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :** निर्णय लिया गया कि संलग्न अंकेक्षण प्रतिवेदन का मान. सदस्यों द्वारा अवलोकन कर एवं पुनः चर्चा हेतु आगामी कार्यपरिषद् में प्रस्तुत किया जावे।

#### मूल विज्ञान केन्द्र -

8. मूल विज्ञान केन्द्र हेतु Chemicals/Plasticwares/Glasswares/Euipments/Instruments क्रय किये जाने हेतु अनुमानित लागत रु. 20,17,925=00 (बीस लाख सत्रह हजार नौ सौ पच्चीस रुपये) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

**निर्णय :** मूल विज्ञान केन्द्र हेतु Chemicals/Plasticwares/Glasswares/Euipments/Instruments क्रय किये जाने हेतु अनुमानित लागत रु. 20,17,925=00 (बीस लाख सत्रह हजार नौ सौ पच्चीस रुपये) का अनुमोदन किया गया।

9. मूल विज्ञान केन्द्र के फिजिक्स लैब के लिये इंस्ट्रूमेंट सामग्री रु. 22,64,491=00 (बाइस लाख चौंसठ हजार चार सौ इंक्यानबे रुपये) निविदा के माध्यम से क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

**निर्णय :** मूल विज्ञान केन्द्र के फिजिक्स लैब के लिये इंस्ट्रूमेंट सामग्री रु. 22,64,491=00 (बाइस लाख चौंसठ हजार चार सौ इंक्यानबे रुपये) निविदा के माध्यम से क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

10. मूल विज्ञान केन्द्र के लिये फर्नीचर हेतु रु. 12,54,458=00 (बारह लाख चौवन हजार चार सौ अंट्ठावन रुपये) निविदा के माध्यम से क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

**निर्णय :** मूल विज्ञान केन्द्र के लिये फर्नीचर हेतु रु. 12,54,458=00 (बारह लाख चौवन हजार चार सौ अंट्ठावन रुपये) निविदा के माध्यम से क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

#### फार्मसी संस्थान –

11. फार्मसी संस्थान के प्रथम तल पर नवनिर्मित लैब एवं इंस्ट्रूमेंट लैब को मॉड्यूलर वर्क टॉप्स बनाये जाने हेतु अनुमानित लागत रु. राशि 8.00 लाख के व्यय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

**निर्णय :** फार्मसी संस्थान के प्रथम तल पर नवनिर्मित लैब एवं इंस्ट्रूमेंट लैब को मॉड्यूलर वर्क टॉप्स बनाये जाने हेतु अनुमानित लागत रु. राशि 8.00 लाख के व्यय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

#### भौतिकी अध्ययनशाला –

12. DST Fist प्रोग्राम के अंतर्गत स्वीकृत राशि से भौतिकी अ.शा. के लिये कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, यू.पी.एस., प्रोजेक्टर आदि सामग्री क्रय किये जाने हेतु अनुमानित व्यय रु. 7,86,948=00 के संबंध में विचार करना।

**निर्णय :** DST Fist प्रोग्राम के अंतर्गत स्वीकृत राशि से भौतिकी अ.शा. के लिये कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, यू.पी.एस., प्रोजेक्टर आदि सामग्री क्रय किये जाने हेतु अनुमानित व्यय रु. 7,86,948=00 का अनुमोदन किया गया।

#### भू-विज्ञान अध्ययनशाला –

13. भू-विज्ञान अध्ययनशाला के सेमिनार हॉल के लिये फर्नीचर एवं अन्य सामग्री क्रय किये जाने के लिये अनुमानित व्यय रु. 7,15,000=00 की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

**निर्णय :** भू-विज्ञान अध्ययनशाला के सेमिनार हॉल के लिये फर्नीचर एवं अन्य सामग्री क्रय किये जाने के लिये अनुमानित व्यय रु. 7,15,000=00 की स्वीकृति प्रदान की गई।

#### वोकेशनल कोर्स से संबंधित प्रस्तावः—

14. B.Voc. के Advisory Committee की अनुशंसा को स्वीकार करने पर विचार करना।

**निर्णय :** निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय के विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में इसे प्रस्तुत किया जावे।

## विविध प्रकरण सूचनार्थ –

15. माननीय कार्यपरिषद् के सदस्य श्री नरेशचंद्र गुप्ता से E-mail दिनांक 22.03.2018 के बिंदु क्रमांक 1-4 की जानकारी वि.वि. के पत्र क्रमांक 24.03.2018 के द्वारा दिये जाने की सूचना कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.03.2018 में दी गई। बिंदु क्रमांक 05 की जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके लिये माननीय सदस्य 10.04.2018 के संदर्भ में वि.वि. के पत्र क्रमांक 1527 दिनांक 13.04.2018 को प्रेषित की गई। पत्र की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न।

**निर्णय :** माननीय कार्यपरिषद् के सदस्य श्री नरेशचन्द्र गुप्ता से ई मेल दिनांक 1004.2018 के माध्यम से प्राप्त पत्र डॉ. जे.एल. गंगवानी के त्याग पत्र दिये जाने के संबंध में वि.वि. के पत्र क्रमांक 1527 दिनांक 13.04.2018 को प्रेषित की गई थी, की सूचना ग्रहण की गई।

## प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य प्रस्तावः—

16. आकस्मिकता तथा कार्यभारित स्थापना से 01.11.2004 के पश्चात् कार्यभारित स्थापना में दै.वे. भो. से नियमित हुए 50 कर्मचारियों को छ.ग. सिविल सेवा पेंशन नियम 1979 अंतर्गत पेंशन योजना का लाभ प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय :** विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रस्तावाधिन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होने के कारण उपरोक्त प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया।

## अध्यापक शिक्षा संस्थान से संबंधित प्रस्तावः—

17. अध्यापक शिक्षा संस्थान के नवनिर्मित भवन के लिये फर्नीचर क्रय किये जाने हेतु अनुमानित व्यय राशि रु. 23,29,255=00 की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

**निर्णय :** अध्यापक शिक्षा संस्थान के नवनिर्मित भवन के लिये फर्नीचर क्रय किये जाने हेतु अनुमानित व्यय राशि रु. 23,29,255=00 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर अनुमोदन किया गया।


## अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय


1. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.04.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

**निर्णय :** विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.04.2018 की कंडिका 5 के संदर्भ में “संबंधित अध्यादेश क्रमांक 45 में सक्षम स्वीकृति द्वारा अंतःस्थापन के उपरांत ही विश्वविद्यालय में धारणाधिकार प्राप्त प्राध्यापक अपने अधीन नये शोधार्थी ले सकेंगे।” इस आंशिक संशोधन के साथ कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

2. श्रीमती प्रमिला गोकुल दास डागा कन्या महाविद्यालय, रायपुर के पत्र क्रमांक 70/डागा/2018 दिनांक 19.04.2018 के अनुक्रम में प्रबंधन समिति के शासी निकाय की बैठक दिनांक 15.04.2018 के निर्णयानुसार श्री डी.के. दुबे, सहायक प्राध्यापक को सेवा से निलंबन किये जाने की सूचना ग्रहण की गई इस संबंध में शासी निकाय से कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

  
कुलपति  
अध्यक्ष

  
कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्रमांक: 6274 / अका. / का.प. / 2018  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 26 / 04 / 2018

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप कुलसचिव (अका.)